झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–229 / 2019

शिव कुमार मोदी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. कुणाल गुटगुटिया
2. सरवन कुमार गुटगुटिया
3. शिव कुमार गुटगुटिया .... वादीगण / विपक्षीगण
4. नीलू देवी
5. ईशु मोदी
7. आदित्य उर्फ आदि मोदी
8. तन्ना मोदी
9. विमल कुमार टेकरीवाल .... प्रतिवादी / विपक्षीगण

<u>कोरमः</u> **माननीय न्यायमूर्ति श्री एच0सी0 मिश्रा**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ओंकार नाथ तिवारी, अधिवक्ता

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना गया। याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को इसके साथ काई आपत्ति नहीं थी और उन्होनें निवेदन किया कि ऑडियो और वीडियो के क्वालिटी अच्छी है।

03 / 05.02.2021 यह सिविल विविध याचिका सिविल रिवीजन सं0 27 / 2018 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने के लिए दायर की गई है, जो 7.3.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

यह याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अनुपालन किया जाएगा।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के मद्देनजर, सिविल रिविजन सं0 27/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(एच0सी0 मिश्रा, न्याया0)